



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-06102026-276877
CG-DL-E-06102026-276877

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 5255]

नई दिल्ली, मंगलवार, अक्तूबर 6, 2026/आश्विन 14, 1948

No. 5255]

NEW DELHI, TUESDAY, OCTOBER 6, 2026/ASVINA 14, 1948

वित्त मंत्रालय
(आर्थिक विभाग)
(वित्तीय बाज़ार प्रभाग)
अधिसूचना

नई दिल्ली, 6 अक्तूबर, 2026

का.आ. 5465(अ).— अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण अधिनियम, 2019 (2019 की संख्या 50) की धारा 5 की उप-धारा (1) के खंड (ग) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार एतद्वारा भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग, का. आ. सं. 2435 (अ) दिनांक 24 जुलाई, 2020 की अधिसूचना में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात्:-

उक्त अधिसूचना में, मौजूदा प्रविष्टि के लिए क्रम संख्या 1 के लिए, निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्: -

“सुश्री मानसा गंगोत्री काटा,

निदेशक,

वित्त मंत्रालय,

वित्तीय सेवाएं विभाग,
भारत सरकार.....सदस्य"

[फा. सं. 4/1/2020- आर. ई.]

डॉ. आलोक तिवारी, संयुक्त सचिव

पाद टिप्पणी: मुख्य अधिसूचना को भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (ii) में 24 जुलाई, 2020 के का.आ. 2435 (अ) के माध्यम से प्रकाशित किया गया था और बाद में अधिसूचना संख्या 2427 (अ) दिनांक 27 मई 2022 और का.आ. 4408 (अ) दिनांक 21 सितंबर, 2022, का. आ. 5251 (अ) दिनांक 11 नवंबर, 2022, का. आ. 3149 (अ) दिनांक 13 जुलाई 2023 और का. आ. 4358 (अ) दिनांक 24 सितम्बर, 2025.

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Economic Affairs)

(FINANCIAL MARKETS DIVISION)

NOTIFICATION

New Delhi, the 6th October, 2026

S.O. 5465(E).— In exercise of the powers conferred by clause (c) of sub-section (1) of section 5 of International Financial Services Centres Authority Act, 2019 (No. 50 of 2019), the Central Government hereby makes the following further amendment in the notification of the Government of India, Ministry of Finance, Department of Economic Affairs, number S.O. 2435 (E) dated 24th July, 2020, namely: -

In the said Notification, against serial number 1, for the existing entry, the following shall be substituted, namely: -

“Ms. Manasa Gangotri Kata,
Director
Ministry of Finance
Department of Financial Services
Government of India Member”

[F. No. 4/1/2020-RE]

Dr. ALOK TIWARI, Jt. Secy.

Footnote: The Principal Notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) vide S.O. 2435(E) dated the 24th July, 2020 and subsequently amended vide notification number S.O. 2427(E) dated 27th May 2022, S.O. 4408 (E) dated 21st September 2022, S.O. 5251(E) dated 11th November, 2022, S.O. 3149(E) dated 13th July 2023 and S.O. 4358(E) dated 24th September 2025.